भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद नैनीताल में मण्डी समिति, हल्द्वानी के विकास हेतु – 10.0035 है0 आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/9279/2015)

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना के अंतर्गत तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाण्डा आरक्षित वन प्लॉट संख्या 150 में 10.0035 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जो वर्तमान में गैर वन भूमि में स्थित मण्डी समिति के विस्तार हेतु प्रस्तावित होने के कारण न्यूनतम व अनिवार्य है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के 562 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। यद्यपि यह वृक्ष वन विकास निगम से पातन किया जाना प्रस्तावित है, तथापि इसके आवर्तन काल से पूर्व पातन किए जाने पर जो राजस्व में नुकसान होगा के मद्देनज़र सैद्वांतिक स्वीकृति के सामान्य शर्तो के अतिरिक्त उक्त वृक्षों के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान दर रू 79.34 लाख की धनराशी प्रस्तावक विभाग से वसूली किए जाने के शर्त पर प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय तथा वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त की संस्तुति से सहमत होकर उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु जनहित में संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 02/03/2015
स्थानः देहरादून